



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 1200 -का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०कालि/19-14-काविनी/87(एम.एफ.) दिनांक 16 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता आधारित चयन में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया विषयक परिषदादेश सं० 1327-काविनी/राविप-29/96-14-काविनी/87 दिनांक 11.07.1996 सपठित आदेश सं० 21-काविनी-(29)/पा०कालि/06-14-काविनी/87(टीसी) दिनांक 09.01.2006 के प्रस्तर-2 (शीर्षक-“चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना”) में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त एतद्वारा निम्नवत् प्राविधानों को भी सम्मिलित किया जाता है :-

“(अ) उक्त के साथ निम्नांकित परिस्थितियों में भी कार्मिक “अनुपयुक्त” की श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेंगे :-

- (1) आलोच्य अवधि में 3 अथवा 3 से अधिक वृहद दण्ड प्राप्त होने पर।
- (2) चयन वर्ष के ठीक पूर्व के चयन वर्ष में किसी कार्मिक को वृहद दण्ड प्रदान किया गया है।
- (3) चयन वर्ष में चयन किये जाने की तिथि तक यदि किसी कार्मिक को वृहद दण्ड प्रदान किया गया है।

(ब) चयन सम्पन्न हो जाने के पश्चात् वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति हेतु अर्ह होने की तिथि तक यदि किसी प्रकरण में वृहद दण्ड मिल जाता है तो उक्त कार्मिक को उस चयन वर्ष में जिसके अन्तर्गत वह चयनित किया गया है, प्रोन्नत नहीं किया जायेगा एवं उसका चयन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। ”

2. उपर्युक्त प्राविधान चयन वर्ष-2021-22 से प्रभावी होंगे तथा पूर्व में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 1200-(1)-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०कालि/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० रा०वि०उत्पादन निगम लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग एवं जाँच समिति, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, जाँच समिति, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
14. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)

उप सचिव (काविनी)